

माल और सेवा कर अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025

नियम 66 : अभिलेखों का प्रतिधारण, संरक्षण और नष्ट करना

- (1) अभिलेखपाल या इस प्रकार नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी अभिलेख कक्ष में भेजे गए अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होगा। वह तीन दिनों के भीतर अपने द्वारा प्राप्त अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और निर्धारित प्रारूप में एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा।
 - (2) नियम 65 के अधीन विनिर्दिष्ट अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि समाप्त होने पर रजिस्ट्रार अभिलेख को हटा देगा।
-